


संस्थान के टाइप-2 शॉपिंग सेंटर की
शॉप # सी-04 में
स्टेशनरी व जनरल स्टोर की दुकान चलाने हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा सं. 36/2019-20

सम्पदा कार्यालय
भा.प्रौ.सं. कानपुर
द्वारा जारी



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
संपदा कार्यालय

कक्ष सं. 101-D, संकाय भवन, दूरभाष # 0512-259-7166, ईमेल: eoffice@iitk.ac.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

कक्ष संख्या 101-D, संकाय भवन

(दूरभाष: 0512-259-7327, ईमेल: eoffice@iitk.ac.in)

निविदा संख्या व दिनांक	36/2019-20 दिनांक 09.03.2020
कार्य / सेवा का नाम	स्टेशनरी व जनरल स्टोर की दुकान चलाने हेतु
कार्यस्थल / शॉप नं.	सी-04, टाइप-2 शॉपिंग सेंटर
दुकान / आउटलेट का क्षेत्रफल	4.41 वर्ग मीटर
मासिक लाइसेन्स शुल्क की आधार दर	₹ 198.00/- प्रति वर्ग मीटर
बयाना राशि (ईएमडी)	₹ 10,000/-
दुकान / आउटलेट की कार्यावधि	सुबह 9.00 बजे से रात्री 09.00 बजे तक
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि और समय	26.03.2020 को अपराह्न 4.00 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर- 208016
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	बाद में घोषित की जाएगी
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	बाद में घोषित की जाएगी
निविदा खोलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर- 208016
निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का लिंक	www.iitk.ac.in/estateoffice/Tender

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

निविदा सूचना सं.362019-20

दिनांक: 09.03.2020

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर) एतदपश्चात 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है(की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार संस्थान के पास एक आउटलेट/शॉप परिसर उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान को संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार का आउटलेट चलाने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की संबन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं।

1. निविदाएं पृष्ठ संख्या-2 में उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष तथा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। बोलीदाता को प्रस्तुति के लिए निविदा समिति के समक्ष (अपनी कंपनी / फर्म की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) साक्षात्कार देना होगा।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए दिनांक और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
3. संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----ह-----

सहायक कुलसचिव व
प्रभारी अधिकारी, सम्पदा

प्रतिलिपि:

1. डीन, प्रशासन व अध्यक्ष, सीईएमएमसी
2. सूचना पट्ट
3. संस्थान की वेबसाइट

निविदाकर्ता के लिए दिशानिर्देश**सामान्य:**

1. यह अनुबंध सफल बोलीदाता को उल्लिखित व्यवसाय, लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तों पर चलाने हेतु दिया जाएगा। अनुबंध की नियम व शर्तें परिशिष्ट-बी में समाहित हैं।
2. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी वाली फर्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड संकल्प द्वारा वैध प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कंपनी की तरफ से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर बोली देने का अधिकारी होगा।
4. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
5. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
7. निविदाकार अनुलग्नक-1 के अनुसार अपना पूर्ण स्थायी और पत्राचार पता संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
8. जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय में 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुलग्नक-2 में सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य करों सहित होनी चाहिए।

पात्रता मापदंड:

10. बोलीदाता को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / प्रतिष्ठित संस्थान इत्यादि में इस तरह के आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता अपने अनुभव / क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।
11. आउटलेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोलीदाता के पास कार्यशील पूंजी के मामले में अच्छी वित्तीय स्थिति होना चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीआईएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी, उसे, यदि संबंधित कानून आवश्यक है तो, आउटलेट के लिए एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा ,
13. जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है उस फर्म को वर्तमान आउटलेट के प्रदर्शन के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही दो या दो से अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है, उस बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का संस्थान के साथ पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी चल रही है तो उस बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित किया जाएगा। कर्मचारी व छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

बयाना राशि (ईएमडी)

14. प्रत्येक निविदा के साथ एक ईएमडी , जैसा कि पृष्ठ सं. 2 पर दिया गया है , जमा करना अनिवार्य है। उक्त ईएमडी एफडीआर / टीडीआर / डीडी के रूप में किसी भी अनुमूचित बैंक से 'Registrar, IIT Kanpur' के नाम देय हो होनी चाहिए। ईएमडी के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इनकार करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
16. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
17. (क) बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। संबंधित बोलीदाता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएमडी राशि लौटा दिया जाएगा।
(ख) ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
(ग) सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, परिशिष्ट-ब में दी गई शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

जमा प्रतिभूति (सफल बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध पत्र प्राप्ति के बाद जमा किया जायेगा)

18. लाइसेंसधारक को FDR के माध्यम से निम्नलिखित गणना के आधार पर प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो कि 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैधता अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के 03 महीने के बाद तक की होनी चाहिए:

क. प्रतिभूति राशि सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत मासिक लाइसेंस शुल्क का पाँच गुना के बराबर होगी।

ख. प्रतिभूति राशि को तय करने में दुकान/आउटलेट के औसत बिजली के बिल को भी सम्मिलित किया जायेगा। यह उस/समान दुकान/आउटलेट की पिछली खपत पर आधारित होगा।

ग. उपर्युक्त स्थिति पर विचार करते हुए, सुरक्षा राशि बिन्दु (क) एवं (ख) की कुल राशि को ₹25000/- के अगले उच्चतम गुणांक के आधार पर तय की जायेगी, न्यूनतम सुरक्षा राशि ₹25000/- होगी।

निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

19. बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली जमा की जाती है तो उसे सीधे पर निरस्त किया जा सकता है।

(क) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर

(ख) बैंक सोल्वेनसी सर्टिफिकेट / पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट

(ग) विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र

(घ) फर्म / कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र

(ङ) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर

(च) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर

(छ) ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र कोड नम्बर

(ज) अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस (यदि कोई है)

(झ) FSSAI प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) . यदि टेंडर से सम्मानित किया जाता है तो निविदा प्रदान करने की तारीख से एक महीने के भीतर अनिवार्य रूप से एक नया एफएसएसआई प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।

(ञ) अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट 1 & पार्ट -2)

(ट) दुकानों की संख्या एवं उनका विस्तृत विवरण

(ठ) अंकेधित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ / हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र

(ड) फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची

(ढ) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार-पत्र/संकल्प पत्र

(ण) बयाना राशि जैसा की पृष्ठ सं.2 पर उल्लिखित है।

(त) आवेदक के पते का प्रमाणपत्र की प्रति

(थ) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक / व्यक्ति के 'आधार' की छायाप्रति

(द) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

20. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी : (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली

(i) तकनीकी बोली: तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुलग्नक-1 (भाग-1, 2 & 3) शामिल होना चाहिए। इसके साथ-साथ, उपरोक्त बिन्दु में दिये गए दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाना चाहिए। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "तकनीकी बोली" साथ ही उस आउटलेट / दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

(ii) वित्तीय बोली: वित्तीय बोली अनुलग्नक-2 में निर्धारित कीमतें है। वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "वित्तीय बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

- तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाना चाहिए। उसके बाद सम्पदा कार्यालय (संकाय भवन), भा.प्रौ.सं. कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में , पृष्ठ सं. 2 पर दिये गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है।
- एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

21. पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
22. निविदा खुलने के पश्चात निविदा 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अवधि के पश्चात लाइसेंसधारक को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो निविदाकर्ता को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

निविदाओं का खुलना

23. सबसे पहले पृष्ठ सं. 2 पर दिये गए दिन एवं समय के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण / साक्षात्कार हेतु (अपनी कंपनी / फर्म की कार्य-प्रणाली से संबंधित सवाल के संतुष्ट जबाब देने के लिए) समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके पश्चात केवल तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की वित्तीय बोली पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार खोली जाएगी।
24. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है वह निविदा मिलने के 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान अपने विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द कर सकता है।

निविदा मूल्यांकन के मानदंड

25. पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोलीदाता को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फैक्टर (Price Advantage Factor) दिया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जिसका निम्नानुसार अधिकतम योग होगा:

(मूल्य समायोजन फैक्टर × बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली प्रति वर्ग मीटर लाइसेन्स शुल्क की दर)

हालांकि, इस निविदा की यह शर्त है की उक्त दुकान परिसर में पहले से मौजूद लाइसेन्सी की दुकान / परिसर पर कब्जे का पहला अधिकार होगा, बशर्ते मौजूदा लाइसेन्सी प्राप्त उच्चतम बोली की दरों को स्वीकार करता हो और उसके तकनीकी बोली मूल्यांकन में योग्य पाया गया हो।

निविदा की स्वीकृति / अस्वीकृति

26. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
27. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

निविदाकर्ता का नाम _____

पूरा पता _____

टेलीफोन / मो. नं. _____

अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें

अनुबंध का दायरा

1. इस अनुबंध में उल्लिखित समस्त खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए अपेक्षित समस्त कच्चे माल की जरूरी व्यवस्था आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अनुबंध में खाद्य पदार्थों को तैयार एवं उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ-साथ ग्राहकों को तैयार खाद्य सामग्री परोसने की व्यवस्था भी शामिल है। इस अनुबंध में परिवहन, सामग्री की लागत एवं आउटलेट / शॉप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी शामिल है। लाइसेंसधारक को सामग्री के सुरक्षित भण्डारण एवं अपने कर्मचारियों के रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

परिभाषा

2. इस अनुबंध में निविदाकर्ता के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं का अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
 - (क) "सी.ई.एम.एम.सी." से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है।
 - (ख) "कांटेक्टर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
 - (ग) "निदेशक" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।
 - (घ) "संस्थान" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
 - (ङ) "प्रभारी अधिकारी (संपदा)" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगे।

अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. परिशिष्ट -A अर्थात् बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट-B अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें, आवेदन एवं घोषणा अनुलग्नक-1 (भाग-I II & III), अनुलग्नक-2 में भरे गए प्रति बर्ग मिटर दर, संस्थान द्वारा सफल निविदाकार को निविदा दिये जाने से संबंधित प्रस्ताव पत्र इस अनुबंध-पत्र का अभिन्न हिस्सा होगा।

अनुबंध की अवधि

4. निविदा की अवधि शुरुआत में, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से, एक साल के लिए होगी जिसमें शुरुआत के तीन महीनों परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

5. लाइसेंसधारक को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख को नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क, पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट, का भुगतान करना होगा। हालांकि संस्थान के निर्णयानुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफाई शुल्क का भुगतान संस्थान में मौजूदा दर के अनुसार अलग से करना होगा (वर्तमान सफाई शुल्क दर ₹ 500/- है)। जीएसटी और अन्य सरकारी करों का भुगतान अतिरिक्त करना होगा।
6. यदि उपरोक्त अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर बिलंब शुल्क के रूप में ₹ 100/- प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।
7. लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा आउटलेट/शॉप में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन / संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
8. हालांकि यदि लाइसेंसधारक समय पर विद्युत बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत बिलंब शुल्क के रूप में देना होगा।
9. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यदि लगातार तीन माह तक विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक की संबंधित दुकान का विद्युत सप्लाय काट दिया जाएगा।

10. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
11. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिस वस्तु को बेचने की अनुमति दी गई है, उनके अलावा किसी अन्य वस्तु को बेचना भी शामिल है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

आउटलेट/शॉप का समय, मेन्यू, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

12. आउटलेट / शॉप का कार्यावधि पृष्ठ संख्या-2 में वर्णित समयानुसार होगा। इस समयवधि के अतिरिक्त आउटलेट / शॉप का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डन के माध्यम से, पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. आउटलेट/शॉप सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।
14. अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुएं आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। हालांकि संस्थान स्वप्रेरणा से (छात्रावास की दशा में वार्डन इंचार्ज के माध्यम से छात्रावास कार्यकारी समिति की सिफारिश पर) मेन्यू/अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई खाद्य सामग्रियों की सूची में जोड़ / घटाव कर सकता है। इस संबंध में समस्त आदेश संपदा कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।
15. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। खाद्य वस्तुओं की बाजार दर एवं आउटलेट/शॉप कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसधारक एवं वार्डन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि <http://www.mospi.gov.in/#> उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर खाद्य वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रुपये के गुणांक में होंगे।
16. छात्रावास आउटलेट/शॉप के संबंध में, समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थान की तरफ से संबंधित छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
17. भीम / यूपीआई, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इत्यादि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
18. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा।
19. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान आउटलेट/शॉप उपलब्ध होने चाहिए।
20. खाद्य सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट में आउटलेट/शॉप के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री एवं दर से संबंधित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होने चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
21. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
22. लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।
23. निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं हर समय आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। व्यंजन सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
24. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त आउटलेट/शॉप के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट ऐड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता

25. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।
26. इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा लेखा उद्देश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।
27. लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।
28. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़-पौधों, झाड़ियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
29. लाइसेंसधारक संस्थान के संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर आउटलेट/शॉप में न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुंचाएगा और न ही आउटलेट/शॉप के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ-सफाई

30. लाइसेंसधारक खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, ठंडे पेय जल की सतत आपूर्ति एवं ताज़ी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को बरकरार रखेगा। आउटलेट/शॉप में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
31. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप में, गोदाम में तथा खाद्य वस्तुओं को तैयार व परोसते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर, बर्तन, क्राकरी इत्यादि को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि आउटलेट/शॉप के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारक को खाद्य पदार्थों सहित सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
32. आउटलेट/शॉप परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आउटलेट/शॉप परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
33. कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल में की जानी चाहिए।
34. पुराने बासी तथा इक्स्पाईर्ड खाद्य पदार्थों को आउटलेट/शॉप के अन्दर रखने की अनुमति नहीं होगी।
35. प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज़ के बैग / प्लेट्स / कप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

36. लाइसेंसधारक को अनुबंध व संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा। सीईएमएमसी निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
 - (क) वृद्धि / विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
 - (ख) लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
 - (ग) इसके पश्चात प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के काम से हटाना।
 - (घ) कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
 - (ङ) उचित सफाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाला इंधन (यदि लागू हो)

37. खाना बनाने के लिए लाइसेंसधारक केवल पीएनजी / इंडक्शन का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के इंधन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार लाइसेंसधारक केंद्रीय यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) से कमर्शियल पीएनजी कनेक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेन्डर के प्रयोग की अनुमति केवल तभी होगी जब पीएनजी आपूर्ति में खराबी अथवा अन्य कारण से बाधा उत्पन्न हो रही हो।

कर्मियों की नियुक्ति

38. आउटलेट/शॉप संचालित करने के लिए लाइसेंसधारक केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील, व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।

39. आउटलेट/शॉप में कर्मियों को नियुक्त करने से पूर्व लाइसेंसधारक को संपदा कार्यालय से उनकी तैनाती से संबंधित अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस कार्य के लिए लाइसेंसधारक को प्रदत्त प्रपत्र में संबंधित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
40. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।
41. रात्रि 8 से सुबह 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
42. आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आउटलेट/शॉप-कर्मियों को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
43. कार्य अवधि के दौरान आउटलेट/शॉप के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मियों साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।
44. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारककी ही होगी।
45. लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मियों को आउटलेट/शॉप से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
46. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छुटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा।
47. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा।
48. यदि लाइसेंसधारक के किसी कर्मियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारकको करनी होगी।

सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

49. यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन सभी नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।
50. लाइसेंस पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।
51. लाइसेंसधारक को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। ठेका मिलने पर लाइसेंसधारकको एक सप्ताह के अन्दर FSSAI लाइसेंस के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस हासिल करना होगा। उल्लिखित लाइसेंस की एक प्रति संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
52. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांविधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायालय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारकको संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारकद्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।
53. संस्थान: सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायालयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारककी विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।

54. सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारकद्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
55. लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा।

जमा प्रतिभूति

56. लाइसेंसधारक को FDR के माध्यम से, परिशिष्ट-ए के खण्ड-18 के गणनानुसार, प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो कि 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक / भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैधता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।
57. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारकको इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
58. यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद(दों) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा: अनुबंध को रद्द करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारकको दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारकद्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
59. यदि लाइसेंसधारकद्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारकद्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

शिकायत तंत्र

60. लाइसेंसधारक को आउटलेट/शॉप के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
61. लाइसेंसधारक द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
62. लाइसेंसधारक को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी.ई.एम.एम.सी. की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तथा तीसरी बार 20,000 रुपये की राशि या ऐसा ही उच्च अर्थदण्ड जोकि सी.ई.एम.एम.सी./संस्थान द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा लगाया जा सकता है।
63. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारक को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुबंध की समाप्ति

64. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।
65. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हर एक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
66. यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारक को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 15 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपना होगा। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान को दण्डात्मक शुल्क प्रथम महीने के लिए परिसर की मौजूदा सामान्य लाइसेंस शुल्क दर का 50 गुना शुल्क देना होगा जो की दूसरे महीने से टेलीस्कोपिक विधि में बढ़ेगा उदाहरणार्थ दूसरे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 10प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, अनधिकृत कब्जे के पहले महीने के दौरान लगाए गए हर्जाने की दरों की अधिकतम सीमा 5 गुना तक या इस तरह के उच्च दर पर दण्ड का भुगतान करने के लिए अनुबंधित होगा जो संस्थान द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में दण्डात्मक किराये पर प्रश्नचिन्ह नहीं किया जायेगा और यह इस अनुबंध की विशिष्ट शर्त है।
67. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारकसे संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का

आधिपत्य नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी

68. संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के कार्यों, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।
69. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर दुकान/आउटलेट को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सुपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात् दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा/अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो ता अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।
70. भाड़े में दिए जाने की स्थिति साबित होने पर प्रथम महीने में हर्जाने की दरों की गणना दुगने हर्जाने के रूप में की जाएगी (जैसा कि खण्ड 65 में वर्णित है), द्वितीय महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 10 प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना+ दुगने हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, ऐसे मामलों में हर्जाने का अधिकतम 5 गुना तक सीमित।
71. दुकान/आउटलेट का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
72. लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि दुकान/आउटलेट में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सुचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में दुकान/आउटलेट का कारोगार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी द्वारा नहीं किया जाएगा।
73. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को दुकान/आउटलेट में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन दिन से अधिक समय तक दुकान/आउटलेट आने की स्थिति में नहीं है तो इस सम्बन्ध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदण्ड भी शामिल हो सकता है।

अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

74. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेंगे। हालांकि यदि लाइसेंसधारक चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।
75. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

अधिकार क्षेत्र

76. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____
 निविदाकर्ता का नाम _____
 पूरा पता _____

 टेलीफोन / मो. नं. _____

निविदाकर्ता के
 नवीनतम
 फोटोग्राफ

निविदाकर्ता का नाम _____

पिता का नाम _____

निविदाकर्ता का पता _____

टेलीफोन / मोबाइल नंबर _____

आधार नंबर (व्यक्ति की दशा में) _____

बयाना राशि का विवरण _____

(क) धनराशि _____

(ख) एफ़डीआर/टीडीआर/डीडी नंबर _____

(ग) दिनांक _____

(घ) बैंक और उसकी शाखा _____


जीएसटी नंबर _____

पैन नंबर _____

ईपीएफ़ कोड नंबर (यदि हो) _____

ईएसआई कोड नंबर (यदि हो) _____

कार्य अनुभव (वर्ष में) _____



गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पता

नाम _____

आधार नंबर _____

पता _____

नाम _____

आधार नंबर _____

पता _____

घोषणा:

मैं एतद घोषणा करता हूँ-

1. यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो मैं सभी खर्चों का वहन करूंगा।
2. कि जब भी कोई नोटिस कैंटिन परिसर को खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिसर को तत्काल खाली कर संस्थान को सौंप दूंगा।
3. कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को मनाने के लिए बाध्य हूँ।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा

यदि निविदाकर्ता एक फर्म है।		यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है।	
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____		आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____	
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
कर्मचारियों की संख्या _____		कर्मचारियों की संख्या _____	
ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____		क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____	
सरकारी स्वायत्त निकाय और संस्थान / सरकारी-अर्ध / के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।		सरकारी स्वायत्त निकाय और संस्थान / सरकारी-अर्ध / के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।	
संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष	संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	
अन्य वैधानिक पंजीकरण /लाइसेंस, यदि कोई हो।		अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस /, यदि कोई हो।	
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें नहीं / हां ::		फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें नहीं / हां ::	
एफडीआरडीडी/टीडीआर/ संख्या: _____		एफडीआरडीडी/टीडीआर/ संख्या: _____	
जारीकर्ता बैंक का नाम: _____		जारीकर्ता बैंक का नाम: _____	
जारी करने की तारीख: _____		जारी करने की तारीख: _____	
		आधार संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

शॉप / आउटलेट में बेची जाने वाली आइटम / उत्पाद की मूल्य सूची
(निम्नलिखित उद्धृत कीमतों में जीएसटी शामिल होना चाहिए)

Sl#	Name of items	% of discount offered on MRP
1.	All types of Files & Folders	
2.	Classmate/ My Companion Note Books / Registers	
3.	Chart Paper	
4.	Gift wrapping papers/ Greeting Cards, & Gift Articles	
5.	Balloons and Ribbons	
6.	Pilot Pens	
7.	Uni-Ball Pens	
8.	Pierre Cardin & Parker Pens	
9.	Spiral Note Books	
10.	Use & throw Pen	
11.	All other Pens	
12.	Small electronic items (Branded)	
13.	All kangaroo Stationery Products	
14.	Mechanical Pencils	
15.	Engineering Instruments	
16.	All kangaroo Stationery Products	
17.	Sparkle, Candles and other decorative items	
18.	Greeting Cards & Gift Articles	
19.	All Stationery Articles (Pencil, Eraser, Marker, Sketch pens, Colors and other items)	
20.	All kinds of soaps and Shampoos (Branded)	
21.	All kinds of detergent powders and soaps(Branded)	
22.	Food Grains (rice, wheat, pulse, Flour, Gram flour)	
23.	Detergents (Branded)	
24.	All kinds of hair Oil	
25.	Cooking Oil (Refined, Mustered Oil, Dalda) (Branded)	
26.	All kinds of Biscuits & Namkeen	
27.	All kinds of Candies & Chocolates	
28.	All kinds of Spices (Branded)	
29.	Fresh Bread, Butter, Curd & Milk (Packed items)	
30.	Deodorants & Perfume	
31.	Himalaya Products	
32.	Patanjali Products	
	Any Other Items	
33.		
34.		
35.		

Note:-

- Free home delivery service is to be provided within the campus.
- All the material to be sold should be packed and of standard and reputed brands.
- Schemes allowed by companies to be passed on to the community.

दिनांक: _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर _____

निविदाकर्ता का नाम _____

सील _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

वित्तीय / मूल्य बोली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय

- अ) अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, प्रश्नगत परिसर के लिए रू0 / - (.....
..... रूपये) प्रति वर्ग मीटर लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव देता है, जैसा कि बोली
दस्तावेज में इंगित हैं।
- ब) मैं इससे सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर) परिसर के कुल क्षेत्रफल के
अनुसार लाइसेंस शुल्क को अगले सौ रूपये के गुणांक में राउंड ऑफ करने का अधिकार होगा।
- स) मैं इससे भी सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक विधिवत रूप से प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क में 5 प्रतिशत की
वृद्धि के हकदार होंगे जो कि पूर्व कि भौति (जैसा कि ऊपर 'ब' में गणना की गई है) राउंड ऑफ किया
जायेगा।

दिनांक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पूरा नाम

सील :